न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मु.नं. 9/2022
किस्म- राजस्व अपील
उनवान- रामबाबू बनाम सरकार व अन्य

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

05.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं. 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में निर्माणकर्ता रामू मीना/रामबाबू मीना द्वारा ग्राम बसवा स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3707 रकबा 0.44 है0 में से 0.04 है0 पर भू–संपरिवर्तन कराये बिना ही अकृषि अवैध निर्माण कार्य (दुकानों का निर्माण) करने पर एवं बिना किसी वैध दस्तावेज के काबिज होने पर धारा 90ए सपठित धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त निर्माण को नियमानुसार हटवाकर निर्माणकर्ता को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं लगान राशि का 50गुणा राशि बतौर पैनल्टी निर्धारित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.02.2022 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा पारित किया गया है। उक्त निर्णय दिनांक 16.02.2022 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/5/26

(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर,दौसा